

04-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
वादी की भूमि की पर्यवेक्षण करा कर कब्जा
दे दिया गया है। पत्रावली में कोई कार्यवाही
शेष नहीं है। झल वादी का वादपत्र इसी
स्तर पर रिज किया जाता है। पत्रावली बाद
तरीख तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुलै न्यायालय
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार चोहान)
R.A.S.